न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :–26 / 2013

तारीख दायरा 29.10.2013

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर .....प्रार्थी

बनाम

भट्टा 30 एफ व सरपंच ग्राम पंचायत अरायण ..... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थित:–
1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री शिव प्रकाश कालड़ा एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30/10/13

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि चक 30 एफ की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नः 54 की 43 बीघा भूमि गैर मुमकिन जोहड़ के नाम से दर्ज थी। इंतकाल संख्या 28 दिनांक 22.11.77 द्वारा उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि गैर मुमकिन भट्टा को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक दिनांक 28.01.70 द्वारा आवंटन आदेश पारित किया गया है। आदेश क्रमांक एफ.12(3) (27). राजस्व / 87 / 2439 दिनांक 30.03.1996 द्वारा उक्त भूमि तादादी 10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित की गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित थी। आवंटन खारिज योग्य है।

रैफरेन्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री शिव प्रकाश कालड़ा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं प्रत्युत्तर पेश किया कि उप जिलाधीश श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत रकबा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 18(143)राज / उप / 73 दिनांक 16.07.74 के अनुसरण में आरक्षित कीमत पर भू–राजस्व 20 गुना राशि पर ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी कि भूमि में प्लॉट आवंटन नीलामी विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण व योजना अनुमोदित के अनुसार किया जावे। उक्त 10 बीघा भूमि का आवंटन राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना की पालना में ग्राम पंचायतको किया गया है। इंतकाल संख्या 1 दिनांक 22.11.77 गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि में से 10 बीघा भूमि का आवंटन गैर मुमकिन भट्टा के लिए स्वीकृत किया गया तथा बाद में इंतकाल संख्या 2 दिनांक 04.02.86 से मु0 पं0 34 की 10 बीघा भूमि गैरमुमकिन भट्टा से सिवाय चक कृषि योग्य भूमि दर्ज कर स्वीकृत किया गया है यानि उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 03.01.86 के द्वारा किया जा चुका है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होते है। आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि को आवंटन करना व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने का तथ्य स्वीकार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रम में भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 03.01.86 की पालना में भूमि की किस्म परिवर्तन की गई है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान प्रस्तुत रेफरेन्स पर लागू नहीं होते हैं इसलिए आवंटन अवैध नहीं कहा जा सकता है। साथ ही धारा 82 के अनुसार प्रस्तुत रेफरेन्स को सुनने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को नहीं हैं।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि आराजी जेर बहस जरिये आवन्टन आदेश दिनांक 30.03.1996 ग्राम पंचायत को आवटित की गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी। जिसे आवन्टन नहीं किया जा सकता था। अतः रैफरैंस स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

कलक्टर (सतर्कता)

[illegible] ग्राम पंचायत को किया गया है [illegible]

प्रावधान प्रकरण पर लागू नहीं होते। रेफरेंस [illegible] 16 प्रतिबंधित थी स्वीकार नहीं है क्योंकि इन्तकाल संख्या 1 दिनांक 22.11.[illegible] जोहड की भूमि का आवंटन भट्ठा के लिये किया गया व बाद में इन्तकाल संख्या 2 दिनांक 04.02.86 को 10 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तन जिला कलक्टर श्री गंगानगर के आदेश दिनाक 03.01.1986 द्वारा किया जा चुका है। अतः रैफरैंस खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा क्रमांक एफ 12(3)(27)राजस्व/87/2439 दिनांक 30.03.92 द्वारा आदेश जारी किया गया है कि उपजिलाधीश श्री करणपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 849 दिनांक 19.04.1986, 1027 दिनांक 14.05.1986 व 101 दिनांक 14.02.92 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार सिफारिश के आधार पर चक 30 एफ के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 ता 10 कुल 10.00 बीघा भूमि को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 18(143)राज/उप/73 दिनांक 16.07.74 के अनुसरण में आरक्षित कीमत पर भू राजस्व 20 गुणा राशि पर ग्राम पंचायत को इस शर्त सहित आबादी विस्तार हेतु आवंटित की जाती है कि भूमि में प्लॉट आवंटन नीलामी विकास अधिकारी पंचायत समिति श्री करणपुर के पर्यवेक्षण व उनकी स्वीकृति व योजना अनुमोदित के अनुसार किया जावे व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस पर इन्तकाल संख्या 134 दिनांक 27.02.1993 तस्दीक किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जिला कलक्टर ऐसा रिकार्ड शुद्धता व वैधता की जांच हेतु रिकार्ड मंगाकर राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल को भेज सकते हैं।

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, ~~[illegible]र~~ करणपुर द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू-प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त भूमि की किस्म मुताबिक इन्तकाल संख्या 28 दिनांक 22.11.1977 जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। धारा 16 में उपबंधित किया गया है कि Land reserved for flow of water can not be allotted on the basis of long possession ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 30/10/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

क्र0 3113

दिनांक:- 3.11.17

प्रति:- तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर को निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर